तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 68/2022 बअनवान जोधाराम बनाम तगाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री भाखराराम गोदारा एवं रेस्पोडेंटस अधिवक्ता श्री कुमार कौशल जोशी उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण/प्रार्थी के खातेदारी भूमि ख़सरा संख्या 116/01 रकबा 3. 1404 हैक्टयर कूकणों की ढाणीयां तहसील गुड़ामालानी तथा अपीलकर्तागण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 127/120 मौजा कुकणों की ढाणियां में आने-जाने के लिए रेस्पोडेंटस के खातेदारी का खेत खसरा संख्या120 रकबा 4.7753 हैक्टयर मध्य में पड़ते है इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटगण को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता अपीलांटगण/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उतरदातागण संख्या 01 व 02 ने दिनांक 22.06.2022 को हाजा न्यायालय में लिखित में अपील का ईकवाली जवाव पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2022 को खारिज करते हुए अपीलांटगण के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन पत्र व तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति ऐसे अभिधारी एसी सुविधा के लिए संबंधित उप खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप खण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष प्रस्तावित रास्ते पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से आपसी सहमति जाहिर हो रही है। हस्तगत अपील/आवेदन रा.का.अधि. की धारा 251क में प्रदत्त प्रावधानों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।	

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.7.22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। न्यायालय समय तक 2 बजे - 4 बजे तक आवाजे दिलाई गई। लगातार सूचना अनुपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता ने आदेशित दिनांक 11.08.2021 व 23.05.22 की पालना नहीं की गई जो पैरवी में उदासीनता को दर्शाता है। लिहाजा अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी एवं अदम पालना में खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। Jamin	